



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2019/आश्विन 1, 1941

No. 333]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019/ASVINA 1, 1941

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 23 सितम्बर, 2019

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,—

#### I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में:

- (क) खंड (णण) में, उप-खंड (iii) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रवर्ग-III के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को छोड़कर दूसरे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक”, शब्दों तथा चिह्नों “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक [व्यक्तियों, निगमित निकायों (कारपोरेट बॉडीज़) और कौटुंबिक कार्यालयों (फैमिली ऑफिसेज़) से भिन्न]” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- (ख) खंड (तत) में, उप-खंड (v) में, शब्द चिह्न तथा अंक “प्रवर्ग-III के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को छोड़कर दूसरे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, शब्दों तथा चिह्नों “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक [व्यक्तियों, निगमित निकायों (कारपोरेट बॉडीज़) और कौटुंबिक कार्यालयों (फैमिली ऑफिसेज़) से भिन्न]” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

- (ग) खंड (धध) में, उप-खंड (ii) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रवर्ग-III के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को छोड़कर दूसरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हो”, शब्दों तथा चिह्नों “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक [व्यक्तियों, निगमित निकायों (कारपोरेट बॉडीज़) और कौटुंबिक कार्यालयों (फैमिली ऑफिसेज़) से भिन्न]” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- II. विनियम 283 में, उप-विनियम (1) में, खंड (IV) में, उप-खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रवर्ग-III का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक”, शब्दों “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- III. अध्याय-X में, भाग-IV के पश्चात्, एक नया भाग अंतःस्थापित किया जाएगा और विनियम 292 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

**“भाग-V: मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) में स्थानांतरण (माइग्रेशन)**

**आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुसरण में इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों को, स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) की नियमित श्रेणी के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) का विकल्प प्रदान करना**

292. (1) कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) की नियमित श्रेणी के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु पात्र होगी, बशर्ते कि स्टॉक एक्सचेंजों की शर्तें (यदि कोई हों) पूरी कर ली जाएँ, और निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली जाएँ:

- (क) उसकी निर्धारित प्रतिभूतियाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध (लिस्टिड) रही हों;
- (ख) नियमित श्रेणी के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु आवेदन किए जाने के समय, उसके कम से कम दो सौ शेयरधारक हों;
- (ग) कंपनी, उसके किसी संप्रवर्तक (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) या निदेशक को बोर्ड द्वारा पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) में पहुँच रखने से विवर्जित न किया गया हो;
- (घ) कंपनी के संप्रवर्तकों या निदेशकों में से कोई ऐसी किसी अन्य कंपनी का संप्रवर्तक या निदेशक न हो, जिसे बोर्ड द्वारा पूँजी बाजार में पहुँच रखने से विवर्जित किया गया हो;
- (ङ) कंपनी अथवा उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक (डायरेक्टर) इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) न हो; और
- (च) कंपनी का कोई भी संप्रवर्तक या निदेशक भगोड़ा आर्थिक अपराधी न हो।

**स्पष्टीकरण :** ऊपर (ग) एवं (घ) के तहत दी हुई पाबंदियाँ उनमें उल्लिखित उन व्यक्तियों या एंटीटियों पर लागू नहीं होंगी, जिन्हें बोर्ड द्वारा पहले कभी विवर्जित किया गया हो और विवर्जन की अवधि उस तारीख तक पूरी हो चुकी हो, जिस तारीख को स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) की नियमित श्रेणी में व्यापार (ट्रेडिंग) के स्थानांतरण (माइग्रेशन) हेतु आवेदन किया जा रहा हो।

**पात्रता अपेक्षाएँ**

(2) कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) की नियमित श्रेणी के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु केवल तभी पात्र होगी, जब:

- (क) उसके पास पिछले तीन पूरे वर्षों (प्रत्येक बारह महीने का) में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन करोड़ रुपये की शुद्ध मूर्त आस्तियाँ (नेट टेंजिबल असेट्स) [जिनकी गणना समेकित आधार पर की गई हो] रही हों, जिनमें से अधिकतम पचास प्रतिशत मौद्रिक आस्तियों (मॉनिटरी असेट्स) के रूप में धारित रही हों;
- (ख) उसे पिछले तीन वर्षों (प्रत्येक बारह महीने का) के दौरान कम से कम पंद्रह करोड़ रुपये का औसत परिचालन लाभ (एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट) [जिसकी गणना समेकित आधार पर की गई हो] हुआ हो और इन पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में परिचालन लाभ हुआ हो;
- (ग) उसकी पिछले तीन पूरे वर्षों (प्रत्येक बारह महीने का) में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक करोड़ रुपये की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) [जिसकी गणना समेकित आधार पर की गई हो] रही हो; और

(घ) यदि उसने पिछले एक वर्ष के भीतर अपने नाम में परिवर्तन किया हो, तो पिछले एक पूरे वर्ष हेतु उसे कम से कम पचास प्रतिशत की आमदनी (जिसकी गणना समेकित आधार पर की गई हो) उस क्रियाकलाप से हुई हो जो उसके नए नाम से झलकता हो।

(3) विनियम 292 के उप-विनियम (2) के तहत दी हुई शर्तों को पूरा न करने वाली कंपनी की पूँजी का पचहत्तर प्रतिशत, नियमित श्रेणी के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु आवेदन किए जाने के समय, स्थानांतरण (माइग्रेशन) हेतु आवेदन किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स) द्वारा धारित हो।

#### संप्रवर्तकों का न्यूनतम अंशदान

(4) कंपनी के संप्रवर्तक (प्रोमोटर्स) कुल पूँजी का कम से कम बीस प्रतिशत धारण करेंगे:

परंतु यह कि यदि संप्रवर्तकों द्वारा धारित कुल पूँजी बीस प्रतिशत से कम हो, तो आनुकल्पिक निवेश निधियाँ (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स) या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (शेड्यूलड कमर्शियल बैंक) या लोक वित्तीय संस्थाएँ (पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन) या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियाँ यथा निर्धारित न्यूनतम अंशदान में रही कमी को पूरा करने के लिए अंशदान (कुल पूँजी के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यक्षीन) कर सकेंगी, किंतु उनकी पहचान संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के रूप में नहीं की जाएगी:

परंतु यह और कि संप्रवर्तकों के न्यूनतम अंशदान की अपेक्षा वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ कंपनी में कोई पहचान योग्य संप्रवर्तक न हो।

#### अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि

(5) (क) संप्रवर्तकों का न्यूनतम अंशदान [जिसमें आनुकल्पिक निवेश निधियों या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या लोक वित्तीय संस्थाओं या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियों द्वारा किया गया अंशदान शामिल है] उस तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए रुद्ध (लॉक-इन) हो जाएगा, जिस तारीख को मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) की नियमित श्रेणी में व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु मंजूरी प्रदान की जाए, और संप्रवर्तक (प्रोमोटर्स) की 20% से अधिक की कोई धारिता (होल्डिंग) एक वर्ष की अवधि के लिए रुद्ध हो जाएगी।

(ख) जहाँ कहीं भी ऐसी एंटिटियों द्वारा किए गए अंशदान इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर कंपनी के शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के समय छह महीनों की अवधि के लिए रुद्ध रहे हों, और कंपनी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्धता (लिस्टिंग) का एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) की नियमित व्यापार श्रेणी में स्थानांतरित (माइग्रेट) होना चाहती हो, तो अवरुद्धता (लॉक-इन) हेतु निर्धारित तीन वर्षों तथा एक वर्ष (जो भी लागू हो) की अवधि में से ऐसी अवधि घटा दी जाएगी।

(ग) अवरुद्धता (लॉक-इन) की शर्त उस कंपनी पर लागू नहीं होगी, जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर कम से कम तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सूचीबद्ध रही हो।”

IV. अनुसूची-XIII में, भाग-क में, खंड 10 में, उप-खंड ट में, शब्द तथा अंक “प्रवर्ग III से भिन्न विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों”, शब्दों तथा चिह्नों “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (व्यक्तियों, निगमित निकायों और कौटुंबिक कार्यालयों से भिन्न)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./221/19]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् -

(क) 31 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा

- (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
- (ग) 5 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
- (घ) 29 जुलाई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/29, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd September, 2019

Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)  
(Fourth Amendment) Regulations, 2019

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
  - I. In regulation 2, in sub-regulation (1):
    - (a) In clause (oo), in sub-clause (iii), the words and symbols “foreign portfolio investor other than Category III foreign portfolio investor” shall be substituted with the words “foreign portfolio investor other than individuals, corporate bodies and family offices”.
    - (b) In clause (pp), in sub-clause (v), the words and symbols “foreign portfolio investor other than Category III foreign portfolio investor” wherever found shall be substituted with the words “foreign portfolio investor other than individuals, corporate bodies and family offices”.
    - (c) In clause (ss), sub-clause (ii) the words and symbols “a foreign portfolio investor other than Category III foreign portfolio investor, registered with the Board” shall be substituted with the words “a foreign portfolio investor other than individuals, corporate bodies and family offices.”
  - II. In regulation 283, in sub-regulation (1), in clause (IV), in sub-clause (a), the words and symbols “Category III Foreign Portfolio Investor” shall be substituted with the words “foreign portfolio investor.”
  - III. In Chapter X after Part IV, a new Part shall be inserted and Regulation 292 shall be substituted with the following, namely,-

#### “PART V: MIGRATION TO THE MAIN BOARD

##### **Granting companies listed on the Innovators Growth Platform pursuant to an initial public offer, an option to trade under the regular category of the main board of the stock exchange**

292. (1) A company shall be eligible to trade under the regular category of the main board of the stock exchanges, subject to fulfillment of the conditions of the stock exchanges, if any, and the fulfillment of the following conditions:

- (a) It has listed its specified securities for a minimum period of one year on the Innovators Growth Platform of a recognised stock exchange;

- (b) It has minimum of two hundred shareholders, at the time of making the application for trading under the regular category;
- (c) The company, any of its promoters, promoter group or directors are not debarred from accessing the capital market by the Board;
- (d) None of the promoters or directors of the company is a promoter or director of any other company which is debarred from accessing the capital market by the Board;
- (e) The company or any of its promoters or directors is not a wilful defaulter; and
- (f) None of the promoters or directors of the Company is a fugitive economic offender.

**Explanation:** The restrictions under (c) and (d) above shall not apply to persons or entities mentioned therein, who were debarred in the past by the Board and the period of debarment is over as on the date of application for migration of trading to the regular category of the main board of the stock exchange.

#### **Eligibility requirements**

(2) A company shall be eligible to trade under the regular category of the main board of the stock exchanges, only if:

- (a) it has net tangible assets of atleast three crore rupees, calculated on a consolidated basis, in each of the preceding three full years (of twelve months each), of which not more than fifty per cent. are held in monetary assets;
- (b) it has an average operating profit of atleast fifteen crore rupees, calculated on a consolidated basis, during the preceding three years (of twelve months each), with operating profit in each of these preceding three years;
- (c) it has a net worth of atleast one crore rupees in each of the preceding three full years (of twelve months each), calculated on a consolidated basis; and
- (d) in case it has changed its name within the last one year, atleast fifty per cent of the revenue, calculated on a consolidated basis, for the preceding one full year has been earned by it from the activity indicated by its new name.

(3) A company not satisfying the conditions laid down under sub-regulation (2) of regulation 292, shall, at the time of applying to trade under the regular category, have seventy five per cent. of its capital, as on date of application for migration, held by Qualified Institutional Buyers.

#### **Minimum promoters' contribution**

(4) The promoters of the company shall hold atleast twenty per cent of the total capital:

Provided that in case the total capital held by the promoters is less than twenty per cent, alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India may contribute to meet the shortfall in minimum contribution as specified, subject to a maximum of ten per cent of the total capital without being identified as promoter(s):

Provided further that the requirement of minimum promoters' contribution shall not apply in case a company does not have any identifiable promoter.

#### **Lock-in period**

(5) (a) The minimum promoters' contribution including contribution made by alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India, shall be locked in for a period of three years from the date on which trading approval in regular category of main board is granted, and any excess over and above the 20% of promoter's holding shall be locked-in for a period of one year.

(b) Wherever the contributions made by such entities had been locked-in for a period of six months at the time of listing of shares of the Company on the Innovators Growth Platform, and the

company is desirous of migrating to the regular trade category of the main board after completion of listing on the Innovators Growth Platform for one year, such period shall be deducted from the stipulated lock-in requirement of three years and one year, as may be applicable.

(c) The condition of lock in would not apply to a Company which has been listed on the Innovators Growth Platform for a minimum period of three years or more.”

- IV. In Schedule XIII, in Part A, in clause 10, in sub-clause k, the words and symbols “FPIs other than Category III” shall be replaced with the words “a foreign portfolio investor other than individuals, corporate bodies and family offices.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./221/19]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Principal Regulation was subsequently amended on -
  - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
  - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
  - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
  - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.